


FORMAT FOR PARTICULAR OF STAFF TO BE SUBMITTED TO NRC, NCTE, JAIPUR

**PARTICULARS OF STAFF**

**Session: 2016-17**

**Name and address of the Institution: Sri Ram Sahay Singh Kanya Mahavidyalaya, Maharipur, Basti Course: B.Ed.**

Sl. No	Name With Date of Birth Age	Attested photograph of the appointed staff	whether SC/ST/OBC/other Category	Designation	B.Ed. Yes/No	M.Ed. Yes/No	M.A. (Education) Yes/No	Master's Degree in school subject Yes/No	Subject of Teaching	Ph.D. (Education/Specify the subject) Yes/No	Passed UGC NET or equivalent Yes/No	Teaching Experience in Years	Teaching Experience in Recognized School.B.Ed. College (Enclose experience certificate from the Principal)	Date of initial appointment and NCTE Regulation under which he or she was	Joining Date
					If yes' %age of Marks	If yes' %age of Marks	If yes' %age of Marks	If yes' %age of Marks & specify the subject							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>I. DETAILS OF TEACHING STAFF</b>															
<b>I (A) PRINCIPAL/HOD-</b>															
1.	Anshuman Neeraj Awasthi 15/08/1980		Gen.	Asstt. Prof.	Yes 68.02	Yes 56.08	No	Yes 56.07	Shiksha ke pripekshya me	No	No	-	-	15/03/2017	15/03/2017

2.	Raj Kumar Tiwari 15/10/1976		Gen.	Asstt. Prof.	Yes 70.09	Yes 65.22	No	Yes 60.07	Shiksha ke pripekshya me	No	No	-	-	15/03/2017	15/03/2017
3.	Sanjay Ojha 20/06/1982		Gen.	Asstt. Prof.	Yes 75	Yes 68	No	Yes 57	Shiksha ke pripekshya me	No	No	-	-	15/03/2017	15/03/2017
4.	Divaker Shukla 20/02/1986		Gen.	Asstt. Prof.	Yes 66	Yes 66	No	Yes 58	Shikshan Vishaya	No	No	-	-	15/03/2017	15/03/2017
5.	Kamlesh Kumar 01/10/1973		OBC	Asstt. Prof.	Yes 70.3	Yes 63.66	No	Yes 55.33	Shikshan Vishaya	No	No	-	-	15/03/2017	15/03/2017
6.	Kamlendra Nath Tripathi 20/07/1982		Gen.	Asstt. Prof.	Yes 66.01	Yes 64.07	No	Yes 62	Shikshan Vishaya	No	No	-	-	15/03/2017	15/03/2017
7-	Piyus Raj Prabhat 27/02/1988		Gen.	Asstt. Prof.	Yes 55.03	Yes 57.02		Yes 65.75	Shikshan Vishaya	No	No	-	-	15/03/2017	15/03/2017
8.	KM Shachi Tripathi 04/07/1991		Gen.	Asstt. Prof.	-	-		M.F.A. 60.04	Lalit Kala Nishpadan Kala	No	No	-	-	15/05/2017	15/05/2017

The above appointment have been made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the UGC/ the affiliating University/Affiliating Body.

Name & Signature of the  
Authorized Representative of the Institution

Date \_\_\_\_\_

Name & Counter Signature with Seal of the  
Registrar/Competent Authority of the Affiliating Body\*

- Note: The institution shall submit the above list as per the provisions of the NCTE Regulations, 2014 indicating qualification, percentage of marks, teaching experience etc. alongwith attested copy of professional qualification & experience certificate and attested photographs of staff duly countersigned by the competent authority of the affiliating body or endorsement of the same by submitting a written approval of the competent authority of the affiliating body as per the above format.

### CERTIFICATE FROM THE MANAGEMENT

- (i) All appointments are on full-time and regular basis except those specified as part-time as per the NCTE norms. The academic staff of the institution (including part-time staff) is/shall be paid salary in such scale of pay as prescribed by the UGC/University/affiliating body from time to time through account payee cheque or as per advice into the bank account of employee specially opened for the propose. The supporting staff shall be paid as per the UGC/State Government/Central Government pay scale structure.
- (ii) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc for its employees. The institution shall follow all the norms of the NCTE as amended from time to time.

Name & Signature of the  
Authorized Representative of the Institution

Date \_\_\_\_\_

- It may be noted by the teacher education institution that in case of self finance institutions run by the pvt. Managements under society/trust, the above details shall be signed by the Secretary/President/Chairman of the concerned Management. In case of the Govt./University/aided instituion the same shall be signed by the Registrar/Director/Principal/HOD of the institution.

काम कार्यालय  
आवास

प्रबन्धक,

कुलसचिव,  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कनितसपुर,  
सिद्धार्थनगर

पत्रांक : सम्बद्धता/2017/225  
सेवा में,

प्रबन्धक,

श्री राम सहाय सिंह कन्या महाविद्यालय,  
महरीपुर, बस्ती।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2016 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है-

क्र.सं०	पद	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि
1	सहायक प्रोफेसर, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में	श्री अशुमान नौरज अवस्थी	श्री राम गोपाल अवस्थी	15-08-1980
2	सहायक प्रोफेसर, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में	श्री राज कुमार तिवारी	स्व० श्री बसन्त लाल तिवारी	15-10-1976
3	सहायक प्रोफेसर, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में	श्री संजय ओझा	श्री राम किशोर ओझा	20-08-1982
4	सहायक प्रोफेसर, शिक्षण विषय	श्री दिवाकर शुक्ला	श्री कृष्ण कान्त शुक्ला	20-02-1986
5	सहायक प्रोफेसर, शिक्षण विषय	श्री कमलेश कुमार	श्री छिकोड़ी लाल	01-10-1973
6	सहायक प्रोफेसर, शिक्षण विषय	श्री कमलेश नाथ त्रिपाठी	श्री पारस नाथ त्रिपाठी	20-07-1982
7	सहायक प्रोफेसर, शिक्षण विषय	श्री पीयूषराज प्रमात	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह	27-02-1988

उपर्युक्त के अतिरिक्त शशि त्रिपाठी, सहायक प्रोफेसर, निष्पादन कला बी०एड० की अर्हता का प्रमाण पत्र न होने के कारण अनुमोदन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त विषय में नियमानुसार चयन समिति की बैठक कराकर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

नोट- उपरोक्त अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/साक्ष्यों/शपथ पत्र में दी गयी जानकारी यदि भविष्य में असत्य/भ्रामक पायी जाती है तो चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्राक्धानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित सविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबंध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणैतर कर्मियों को एकाउण्टपैयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
  1. प्राचार्य/प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन चयन समिति के अनुमोदन के आधार पर दिया जा रहा है। यदि अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता/त्रुटि पायी जाती है तो अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

कुलसचिव

फोन : कार्यालय -  
आवास -

प्रे.क.

कुलसचिव,  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर -



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक : सम्बद्धता/2017/78  
सेवा में,

दिनांक 11/05/2017

प्रबन्धक,  
श्री राम सहाय सिंह कन्या महाविद्यालय,  
महरीपुर, बस्ती।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में निष्पादन कला विषय में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2016 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम में निष्पादन कला विषय में सहायक प्रोफेसर के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है-

क्र.सं०	पदनाम	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि
1	सहायक प्रोफेसर बी०ए०, निष्पादनकला	श्री शची त्रिपाठी	श्री जय प्रकाश त्रिपाठी	04-07-1991

नोट- उपरोक्त अभ्यर्थियों का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/साक्ष्यों/शपथ पत्र में दी गयी जानकारी यदि भविष्य में असत्य/भ्रामक पायी जाती है तो चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा महाविद्यालय के विलुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।  
शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।  
1. प्राचार्य/प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन चयन समिति के अनुमोदन के आधार पर दिया जा रहा है। यदि अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत अभिलेखों में किसी भी प्रकार की अनियमितता/त्रुटि पायी जाती है तो अभ्यर्थी का चयन/अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

  
कुलसचिव